

an>

Title: Introduction of the Electricity (Amendment) Bill, 2016 (*Substitution of new section for section 4*).

श्री गोपाल शेटी (मुम्बई उत्तर) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं पूस्ताव करता हूँ कि विद्युत अधिनियम, 2003 का और संशोधन करने वाले विधेयक को पुरस्थापित करने की अनुमति दी जाए।

HON. DEPUTY-SPEAKER: The question is:

"That leave be granted to introduce a Bill further to amend the Electricity Act, 2003."

*The motion was adopted.*

श्री गोपाल शेटी : उपाध्यक्ष महोदय, मैं विधेयक पुरस्थापित करता हूँ।